

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

YEAR : 2013-2014

(1-4-2013 TO 31-03-2014)

वर्ष : 2013—2014

(1-4-2013 से 31-03-2014)

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA- 171009**

ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला—171009

विषय सूची

| क्रम संख्या | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|
| I. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन | 1 |
| II. प्रदेश में विकास खण्डों का विवरण | 1-4 |
| III. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा | 4 |
| 1. राज्य स्तर पर | 4 |
| 2. निदेशालय स्तर पर | 4-5 |
| 3. जिला स्तर पर | 5 |
| 4. विकास खण्ड स्तर पर | 5-6 |
| 5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें | 6 |
| 6. कर्मचारी पद्धति(स्टाफिंग पैटर्न) | 6-7 |
| 7. विभाग के कार्य/गतिविधियां | 7-8 |
| 8. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रकोष्ठ | 9 |
| IV. ग्रामीण विकास कार्यक्रम / योजनाएं | 9 |
| 1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम | 10 |
| 2. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन | 10-13 |
| 3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | 13-19 |
| 4. इन्दिरा आवास योजना | 20-21 |
| 5. राजीव आवास योजना | 21-22 |
| 6. मातृ शक्ति बीमा योजना | 22-23 |
| 7. जलागम विकास परियोजनाएं | 24-36 |
| 8. निर्मल भारत अभियान | 36-40 |
| V. सूचना का अधिकार अधिनियम | 40-41 |

I. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन देश की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही प्रमुख समस्याएं रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1952 से देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य जन-सहयोग से ग्रामीण विकास को सम्भव करना था। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रारूपीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए विकास खण्डों का सृजन किया गया।

वर्ष 1999 तक स्वरोजगार योजनाएं नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0), ग्रामीण युवाओं के लिए स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम(ट्राईसम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण दस्तकारों के लिए उन्नत औजार प्रदान करने की योजना, दस लाख कूप योजना और गंगा कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रही थी। परन्तु 1-4-1999 से ये योजनाएं स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समेकित कर दी गईं। इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना भी चलाई जा रही थी। परन्तु 1-4-2002 से ये योजनाएं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समेकित कर दी गई हैं।

ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999-2000 से आरम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न आयवर्धक गतिविधियां शुरू करने हेतु अनुदान एवं ऋण प्रदान करना है। इस योजना में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे ग्रामीण निर्धनों को समूहों में गठित करना, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, समूह गतिविधियों का नियोजन, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, ऋण तथा विपणन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। यह योजना 01-4-2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समेकित कर दी गई है।

संसद ने सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसा परिवार, जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु आगे आते हैं, को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू हुआ जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया था। राज्य में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्य 8 जिलों को 1 अप्रैल, 2008 चरणबद्ध तरीके से इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत परतीभूमि विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत जलागम प्रबन्धन, इन्दिरा आवास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इत्यादि का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके।

II. प्रदेश में विकास खण्डों का विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विकास खण्ड एक महत्वपूर्ण इकाई है। हिमाचल प्रदेश में 78 विकास खण्ड हैं। जिलावार विकास खण्डों का निम्न प्रकार से है।

| क्र०सं० | जिला का नाम | विकास खण्ड का नाम | |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | बिलासपुर | 1 | बिलासपुर |
| | | 2 | घुमारवीं |
| | | 3 | झण्डूता |
| | | 4 | नैना देवी जी स्थित स्वारघाट |
| 2 | चम्बा | 1 | चम्बा |
| | | 2 | मैहला |
| | | 3 | सलूणी |
| | | 4 | तीसा |
| | | 5 | भटियात |
| | | 6 | पांगी |
| | | 7 | भरमौर |
| 3 | हमीरपुर | 1 | हमीरपुर |
| | | 2 | बिझड़ी |
| | | 3 | भोरंज |
| | | 4 | नादौन |
| | | 5 | सुजानपुर टीहरा |
| | | 6 | बमसन |
| 4 | कांगड़ा | 1 | बैजनाथ |
| | | 2 | भवारना |
| | | 3 | पंचरूखी |
| | | 4 | लम्बागांव |
| | | 5 | नगरोटा बगवां |
| | | 6 | नगरोटा सूरियां |
| | | 7 | कांगड़ा |
| | | 8 | रैत |
| | | 9 | नूरपुर |
| | | 10 | इन्दौरा |
| | | 11 | देहरा |
| | | 12 | प्रागपुर |
| | | 13 | फतेहपुर |
| | | 14 | सुलह |
| | | 15 | धर्मशाला |
| 5 | किन्नौर | 1 | कल्पा |
| | | 2 | निचार |
| | | 3 | पूह |

| | | | |
|----|--------------|----|--------------------|
| 6 | कुल्लू | 1 | नग्गर |
| | | 2 | कुल्लू |
| | | 3 | बंजार |
| | | 4 | आनी |
| | | 5 | निरमण्ड |
| | | | |
| 7 | लाहौल स्पीति | 1 | लाहौल स्थित केलांग |
| | | 2 | स्पीति स्थित काजा |
| | | | |
| 8 | | 1 | मण्डी (सदर) |
| | | 2 | बल्ह |
| | | 3 | सुन्दरनगर |
| | | 4 | करसोग |
| | | 5 | गोहर |
| | | 6 | गोपालपुर |
| | | 7 | द्रंग |
| | | 8 | चौतड़ा |
| | | 9 | धर्मपुर |
| | | 10 | सिराज |
| | | | |
| 9 | शिमला | 1 | मशोबरा |
| | | 2 | टियोग |
| | | 3 | नारकण्डा |
| | | 4 | रामपुर |
| | | 5 | चौपाल |
| | | 6 | जुब्बल-कोटखाई |
| | | 7 | रोहडू |
| | | 8 | छौहारा |
| | | 9 | बसंतपुर |
| | | 10 | ननखडी |
| | | | |
| 10 | सिरमौर | 1 | पच्छाद |
| | | 2 | नाहन |
| | | 3 | शिलाई |
| | | 4 | संगडाह |
| | | 5 | पावटा |
| | | 6 | राजगढ़ |
| | | | |
| 11 | सोलन | 1 | कण्डाघाट |
| | | 2 | कुनिहार |
| | | 3 | धर्मपुर |
| | | 4 | सोलन |

| | | | |
|----|-----|---|---------|
| | | 5 | नालागढ़ |
| 12 | ऊना | 1 | बंगाणा |
| | | 2 | अंब |
| | | 3 | गगरेट |
| | | 4 | ऊना |
| | | 5 | हरोली |

III. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा

हिमाचल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग का ढांचा निम्नलिखित है:—

1 राज्य स्तर पर:—

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए निदेशक—एवं—विशेष सचिव, संयुक्त निदेशक—एवं—उप सचिव(ग्रा0वि0)—I&II कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित कक्ष कार्य कर रहे हैं:—

(क) राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ

उप—निदेशक (ग्रा0वि0) प्रकोष्ठ का कार्यक्रम अधिकारी है। इन्दिरा आवास योजना, राज्य आवास योजना और मातृ—शक्ति बीमा योजना इत्यादि योजनाएं भी उप—निदेशक (ग्रा0वि0) द्वारा देखी जा रही हैं।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

उप—निदेशक (सां0) तथा सहायक निदेशक (मनरेगा) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी हैं।

(ग) राज्य स्तरीय नोडल संस्था (जलागम)

परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0), प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है। परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0) एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमों के प्रभारी हैं।


(घ) निर्मल भारत अभियान

उप—निदेशक एवं परियोजना निदेशक (एन0बी0ए0/एन0आर0एल0एम0) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है।

2 निदेशालय स्तर पर:—

निदेशालय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास), के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए उप—सचिव(ग्रा0वि0)—I&II, उप—निदेशक तथा अधिशषी अभियंता कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा



3 जिला स्तर पर:-

जिला स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उत्तरदायी बनाया गया है। उपायुक्त ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये हैं। परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) सहायक परियोजना अधिकारी, (जलागम) परियोजना अर्थशास्त्री, अधीक्षक, सांख्यिकीय अन्वेषक, वरिष्ठ सहायक, लिपिक व सेवादार उन्हे अभिकरण के कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। उपायुक्तों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की एक शासकीय निकाय है। ये निकाय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं।

4 विकास खण्ड स्तर पर:-

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने में सहायता की जाती है:-

| क्र०सं० | पदनाम |
|---------|------------------------------------|
| 1 | अधीक्षक |
| 2 | कनिष्ठ अभियन्ता |
| 3 | महिला समाज शिक्षा संगठक/आयोजिका |
| 4 | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी |
| 5 | वरिष्ठ सहायक (प्रगति) |

| | |
|----|-------------------------|
| 6 | वरिष्ठ सहायक |
| 7 | लिपिक / आशु टंकक |
| 8 | पंचायत सचिव / सहायक |
| 9 | कम्प्यूटर ऑपरेटर |
| 10 | ग्राम रोजगार सेवक |
| 11 | ग्राम विकास संयोजिका |
| 12 | चालक |
| 13 | सेवादार |
| 14 | सफाई कर्मचारी / चौकीदार |

5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करने के आशय से 3 पद अधिशाषी अभियन्ता, 36 पद सहायक अभियन्ता, 171 पद कनिष्ठ अभियन्ता, 3 पद मुख्य प्रारूपकारों और 24 पद प्रारूपकारों के सृजित किये गये हैं। राज्य स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का 1 अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। धर्मशाला तथा मण्डी में आंचलिक कार्यालय जिसमें अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुटंकक, लिपिक, चालक तथा सेवादार के पद सृजित किये गये हैं जो तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यरत है।

6. कर्मचारी पद्धति (स्टाफिंग पैटर्न)

श्रेणीवार स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की 31.3.2014 तक की स्थिति तालिका- III में दर्शाई गई

है:-

| क्र०सं० | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | रिक्त पद |
|---------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| 1. | उप -निदेशक (ग्रा०वि०) | 1 | --- | 1 |
| 2. | खण्ड विकास अधिकारी | 113 | 95 | 18 |
| 3. | प्रशासनिक अधिकारी | 01 | -- | 01 |
| 4. | अधिशाषी अभियन्ता | 03 | 03 | -- |
| 5. | सहायक अभियन्ता (विकास) | 36 | 17 | 19 |
| 6. | अधीक्षक ग्रेड-1 | 01 | --- | 01 |
| 7. | अधीक्षक ग्रेड-11 | 101 | 93 | 8 |
| 8. | विकास अधिकारी (महिला कार्यक्रम) | 5 | 2 | 3 |
| 9. | समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी | 80 | 74 | 06 |
| 10. | पंचायत सचिव | 1208 | 604 | 604 |
| 11. | कनिष्ठ अभियन्ता | 83 | 44 | 39 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| 12. | वरिष्ठ सहायक | 187 | 187 | ... |
| 13. | वरिष्ठ सहायक (प्रगति) | 78 | 78 | 0 |
| 14. | अन्वेषक | 2 | 2 | — |
| 15. | सांख्यिकीय सहायक | 3 | 0 | 3 |
| 16. | मुख्य प्रारूपकार | 3 | 3 | — |
| 17. | प्रारूपकार | 24 | 18 | 6 |
| 18. | लिपिक | 218 | 158 | 60 |
| 19. | अशुटंकक | 37 | 10 | 27 |
| 20. | कनिष्ठ आशुटंकक | 02 | 01 | 01 |
| 21. | वरिष्ठ आशु टंकक | 01 | 01 | -- |
| 22. | निजी सहायक | 01 | 01 | -- |
| 23. | चालक | 87 | 82 | 5 |
| 24. | महिला समाज शिक्षा आयोजिका / संगठक | 79 | 74 | 5 |
| 25. | महिला ग्राम विकास संयोजिका | 176 | 55 | 121 |
| 26. | कनिष्ठ सिलाई अध्यापिका | 19 | 19 | -- |
| 27. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 376 | 351 | 25 |

7 विभाग के कार्य / गतिविधियां:-

विभाग के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:-

7.1 गतिविधियां

विभाग में विभिन्न विकास कार्यों जैसे सामुदायिक विकास, आवास योजनाओं जैसे इन्दिरा आवास योजना और अटल आवास योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जलागम विकास परियोजनाएं, (आई०डब्ल्यू०डी०पी०, डी०डी०पी०, डी०पी०ए०पी० तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम व निर्मल भारत अभियान विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

7.2 कार्य

उपरोक्त दिये गये विभाग के सभी कार्यों के लिये विभाग के विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेवारियों निम्न प्रकार से हैं:-

i) प्रधान सचिव ग्रामीण विकास

- प्रदेश सरकार को नीति निर्धारण एवं प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना।

ii) निदेशक एवं विशेष सचिव

- विभाग का पूर्ण प्रशासकीय व वित्तीय नियन्त्रण।

iii) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक/उप-सचिव (ग्रामीण विकास)

- प्रधान सचिव (ग्रा0वि0), निदेशक ग्रामीण विकास को नीति निर्धारण, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों पर नियन्त्रण में सहयोग देना तथा अन्य सौंपे गए कार्य करना।

iv) उप-निदेशक ग्रामीण विकास/सांख्यिकीय

- निदेशक महोदय को केन्द्रीय तथा राज्य के कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना तथा प्रधान सचिव एवं विशेष सचिव को नीति निर्धारण में सहयोग देना।

v) सांख्यिकीय अधिकारी

- उप-निदेशक सांख्यिकीय को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग देना तथा विशेष रूप से आवधिक रिपोर्टों तथा अनुश्रवण में सहयोग देना।

vi) उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)

- विकास खण्डों का वार्षिक निरीक्षण करना, लेखा परीक्षा रिपोर्टें तैयार करना, महालेखा परीक्षक/जनलेखा समिति के द्वारा मांगे गये पैरों के उत्तर बनाकर समायोजित करना तथा छः अनुभाग अधिकारियों के सहयोग से परामर्श हेतु मामलों में सुझाव देना।

vii) अधिकाधी अभियन्ता (ग्रा0वि0) शिमला मुख्यालय :

- विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन का टैस्ट चैक तथा निरीक्षण करना, विभिन्न विकासात्मक कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुश्रवण, वित्तीय, संख्यात्मक, गुणात्मक पहलुओं को ध्यान रखते हुए करना। इसके अतिरिक्त मुरम्त कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का निर्धारण, कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, कार्यों का निरीक्षण, प्राक्कलनों की जांच करना, निविदाओं की स्वीकृति, अनुबन्ध तैयार करना, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं इत्यादि। इनके अधीन सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/मुख्य प्रारूपकार/ प्रारूपकार कार्यरत हैं।

viii) अधीक्षक ग्रेड-I, II/सी0डी0-II, सी0डी0-III/ अधिकाधी अभियन्ता/रोकड़ एवं बजट

- क. अधीक्षक शाखा -I, II प्रशासनिक अनुभव द्वारा निष्पादित कार्यों की देखरेख।
- ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्त करना तथा उनके दैनिक कार्यों की देखरेख करना।
- ग. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित सहायक सभी तरह के सहायक रजिस्ट्रों एवं अन्य अभिलेख का रखरखाव करें।
- घ. डाक भेजना तथा नस्तियों को अनुभाग एवं उच्च अधिकारियों को भेजने हेतु उनकी देखरेख करना।
- च. समयबद्ध मामलों तथा न्यायालय मामलों का समय पर निष्पादन करना।
- छ. यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, नियम, दिशा-निर्देश तथा रक्षक नस्ति, प्रेसिडेंट रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

8 राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निदेशालय स्तर पर वर्ष 1999-2000 में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया है।

8.1 कार्य

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का कार्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना है। जैसे कि माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, मातृ-शक्ति बीमा योजना, प्रशासन में व्यय इत्यादि। इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना भी प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी होगी।

8.2 स्वीकृत कर्मचारी वर्ग

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद तालिका में दर्शाए गए हैं:-

| क्र०सं० | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---------|------------------------------|----------------|
| 1 | संयुक्त निदेशक | 1 |
| 2 | उप-निदेशक (सांख्यिकीय) | 1 |
| 3 | विषयवाद विशेषज्ञ | 2 |
| 4 | सांख्यिकीय अधिकारी | 1 |
| 5 | अधीक्षक ग्रेड-1 | 1 |
| 6 | सहायक अभियन्ता (विकास) | 1 |
| 7 | सांख्यिकीय अन्वेषक | 4 |
| 8 | सांख्यिकीय सहायक | 5 |
| 9 | वरिष्ठ सहायक | 4 |
| 10 | प्रशासनिक अधिकारी (अंकेक्षण) | 1 |
| 11 | लेखाकार / रोकड़िया | 1 |
| 12 | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 1 |
| 13 | कनिष्ठ आषु टंकक | 1 |
| 14 | लिपिक एवं टंकक | 3 |
| 15 | सेवादार | 2 |

उक्त कर्मचारियों की संख्या पहले से ही निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को सम्मिलित कर के है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्गनिर्देशिका के अनुसार प्रकोष्ठ का प्रशासनिक व्यय जिलों से प्राप्त (केन्द्रीय अंश + राज्य अंश) के 10 प्रतिशत में से किया जाता है।

IV. ग्रामीण विकास कार्यक्रम

प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम:-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं, सामुदायिक विकास की पुरानी रूपरेखा पर आधारित है, जिनका उद्देश्य जन-समुदाय के सहयोग से उनका विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा मदों के तहत सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। विकास खण्डों में कर्मचारियों के लिए आवास गृह के निर्माण तथा ग्राम सेवक भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया जाता है। महिला मण्डलों को प्रोत्साहित करने तथा सुदृढ करने के प्रयोजन से 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' तथा महिला मण्डलों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन करने के लिए भी विकास खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

चालू वित्त वर्ष 2013-14, के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए रु 8573.61 लाख रु0 31.3.2014 तक व्यय किये गये हैं।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

- गरीब व गरीब में सबसे गरीब परिवारों को मजबूत करने, उनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और सामाजिक एकजुटता प्रदान करने के लिए तथा संस्थाओं एवं क्षमता का निर्माण, वित्तीय समावेश, संतुष्ट दृष्टिकोण और स्थाई आजीविका का एक पोर्टफोलियो स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एसजीएसवाई के स्थान पर 1 अप्रैल, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना, उन्हें आजीविका के सतत अवसरों से जोड़ना और गरीबी से बाहर आने तथा एक सभ्य गुणवत्ता के जीवन का आनन्द लेने तक उनका पोषण करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने विभिन्न स्तरों पर एक समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना का प्रावधान किया है। ये संरचनाएं गरीब की जन्मजात क्षमता को उभारने एवं बाहरी वातावरण से निपटने तथा वित्त और अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए पूरक के रूप में समर्थ बनाने की दिशा में काम करती हैं।
- हिमाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहले से ही स्थापित की जा चुकी है। एक स्वतन्त्र कार्यालय आवास एच0पी0एम0सी0 की इमारत, निगम विहार, शिमला-2 में किराए पर लिया गया है एवं नए परिसर में कार्यालय स्थापित किया जा चुका है जिसमें 21 अप्रैल, 2014 से कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम लागत को 75:25 में केंद्र और राज्य द्वारा साझा किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत शुरू में सभी गरीब और अति गरीब परिवारों, और बाद में मामूली रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले

परिवारों का चयन गरीबों की भागीदारी से पहचान प्रक्रिया (पी0आई0पी0) के द्वारा किया जाएगा। उनको स्वयं सहायता समूहों, उनकी संस्थाओं और बैंक से बार-बार माइक्रोफाइनांसिंग के लिए जोड़ा जाएगा। बीपीएल सूची के अतिरिक्त गरीबों की भागीदारी पहचान प्रक्रिया (पी0आई0पी0) के द्वारा चयनित तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित एवं ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित गरीब, अति गरीब तथा कमजोर परिवारों की सूची राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्षित समूह होगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का 01.04.2013 को राज्य में शुभारम्भ हुआ तथा इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020-21 के अन्त तक राज्य के सभी जिलों और खण्डों में किया जाएगा। प्रारम्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार गहन और गैर गहन खण्डों की रणनीति को अपनाया गया है। वर्तमान में इसका कार्यान्वयन प्रदेश के पांच गहन खण्डों क्रमशः जिला सोलन में कण्डाघाट, जिला शिमला में बसन्तपुर, जिला मण्डी में सदर मण्डी, जिला कांगड़ा में नूरपुर तथा जिला ऊना में हरोली में किया जा रहा है। शेष गैर गहन खण्डों को अगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा।
- प्रदेश के दो जिलों शिमला और मण्डी में गठित सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (चाहे वे किसी भी एजेंसी द्वारा गठित किए गए हों) को ऋण पर ब्याज दर 7% वार्षिक होगी तथा इन दोनों जिलों के WSHGs को 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट के लिए चयनित किया गया है। किन्तु यह केवल उन्हीं WSHGs के लिए लागू होगी जो ऋण की अदायगी निर्धारित समय सीमा के भीतर करेंगे। शेष बचे 10 जिलों में ब्याज दर बैंकों की ही लागू होगी किन्तु निर्धारित समयसीमा पर ऋण की अदायगी करने वाले WSHGs को ब्याज दर 7% वार्षिक होगी। सभी ऋणों पर ब्याज के अन्तर की राशी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 की भागीदारी में वहन की जाएगी।
- प्रस्तावित विशेषज्ञों जिन्हें नियुक्ति अभिकरण द्वारा वार्षिक अनुबन्ध एवं उनके कार्य निष्पादन क्षमता के आधार पर भरा जाना है का विवरण निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | राज्य स्तर पर पद | जिला स्तर पर पद | खण्ड स्तर पर पद |
|---------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2014-15 | 03 (चीफ ओपरेटिंग आफिसर सहित) | 17 | 34 |
| 2015-16 | 04 | 17 | 49 |
| 2016-17 | 0 | 06 | 52 |

- वर्तमान में हि0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्र० सं० | नाम पद | संख्या |
|----------|---|--|
| 1 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य सरकारी स्टाफ | 4 |
| 2 | राज्य स्तर पर विशेषज्ञ | 4 |
| 3 | जिला स्तर पर सरकारी स्टाफ | 10 जिला मिशन प्रबन्धक-5 महिला समाज शिक्षा आयोजिका-5 |
| 4 | खण्ड स्तर पर स्टाफ | 16 खण्ड विकास अधिकारी-5 महिला समाज शिक्षा आयोजिका-5 महिला ग्राम विकास संयोजिका-3 क्षेत्रीय समन्वयक-3 |


- आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं:-
 - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नियमावली ।
 - हि० प्र० आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु संचालन मार्गदर्शिका ।
 - स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु सामुदायिक संचालन नियमावली ।
 - ग्राम संगठन व खण्ड संगठन एवं स्वयं सहायता समूह सदस्यों में परस्पर करारनामा प्रपत्र ।
 - स्वयं सहायता समूह एवं बैंक के मध्य करारनामा एवं ऋण हेतु मानक ऋण आवेदन प्रपत्र ।
 - सहभागिता से गरीबों की पहचान के लिए नियमावली ।
 - प्रचार प्रसार सामग्री ।
 - स्वयं सहायता समूह के संचालन हेतु पुस्तिका ।
- निम्नलिखित नियमावलियां अभी तैयार की जा रही हैं :-
 - मानव संसाधन नियमावली ।
 - वित्तीय नियमावली ।
 - अन्य विभागों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए को-ऑपेशन पॉलिसी ।
 - पी. आर.पी.सी.आर. पी नीति ।

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2013-14

| क्र० | जिला | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | ऋण लक्ष्य (लाख रू० में) | उपलब्धियां (लाख रू० में) |
|------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | बिलासपुर | 205 | 116 | 613.98 | 68.5 |
| 2. | चम्बा | 548 | 85 | 1642.99 | 86.1 |
| 3. | हमीरपुर | 230 | 198 | 691.08 | 207.8 |
| 4. | कांगडा | 747 | 328 | 2239.97 | 435.34 |
| 5. | किन्नौर | 33 | 16 | 100.01 | 24.00 |
| 6. | कुल्लु | 133 | 98 | 399.02 | 255.2 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------|------|----------|---------|
| 7. | लाहौल –स्पीति | 28 | 61 | 84.99 | 2.58 |
| 8. | मण्डी | 488 | 1058 | 1464.00 | 303.03 |
| 9. | शिमला | 374 | 602 | 1122.00 | 796.75 |
| 10. | सिरमौर | 162 | 133 | 485.00 | 110.74 |
| 11. | सोलन | 206 | 150 | 618.98 | 256.33 |
| 12. | ऊना | 179 | 100 | 537.98 | 28.63 |
| | कुल | 3333 | 2945 | 10000.00 | 2575.00 |

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2013-14



3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम :-

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगडा में लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को लागू किया गया।

1. मुख्य लक्ष्य :-

इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को प्रदान करने हेतु प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

2. योग्यता :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत परिवार मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का

वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। 100 दिनों का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में परिवार के बीच में बांटा जा सकता है।

सभी व्यस्क सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए वह :-

क ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

ख स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो।

ग स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

3. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र और जॉब कार्ड जारी करना :-

पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर भी दिया जा सकता है और निर्धारित प्रपत्र पर भी जो कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है और पंजीकरण मौखिक रूप से भी करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र में उन सभी व्यस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं जिसमें आयु, वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विवरण भी दिया गया हो। छानबीन के उपरान्त सभी विवरणों को पंजीकरण रजिस्टर में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक परिवार को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। आवेदन पत्र के पंजीकृत होने के 15 दिन के भीतर – भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। आवेदनकर्ता जो व्यस्क है उनका फोटो जॉब कार्ड में लगाया जाता है। जॉब कार्ड पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। जॉब कार्ड तथा फोटो का व्यय योजना के तहत वहन किया जाता है।

4. कार्य के लिए आवेदन और रोजगार आबटित करना :-

कार्य के लिए आवेदन ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य के लिए आवेदन लिखित रूप में करना होगा और इसकी प्राप्ति दिनांक सहित आवेदक को आवश्यक रूप से देनी होगी। आवेदन पत्र कम से कम 14 दिनों के लिए लगातार कार्य के लिए होगा। आवेदनकर्ता जिसे कार्य प्रदान किया जाता है उसे पत्र के द्वारा, जो उसने जॉब कार्ड पर अपना पता दिया है, सूचित किया जा सकता है और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पट पर दर्शाया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्ति की दिनांक के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है।

5. स्वीकार्य कार्य :-

I श्रेणी अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बन्धित लोक निर्माण

- (i) पेय जल स्रोत सहित परष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य
- (ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणाम स्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य।
- (iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज-1, पनरुज्जीवन और अनुरक्षण।
- (iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुज्जीवन।

- (v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सडक सीमांतों, नहर बन्द, कुडं तटाग्र और तटीय पटटी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी तथा
- (vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

II श्रेणी आ: दुर्बल वर्गों के लिए व्याष्टिक आस्तियां

- (i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन सरंचनाओ सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- (ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।
- (iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि का विकास।
- (iv) इन्दिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।
- (v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवधन के लिए अवसंरचना का सृजन करना और
- (vi) मछली शुष्कण याडों, भंडारण सुविधाओं जैसे मतस्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मतस्यपालन के संसवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

III श्रेणी इ: एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना।

- (i) जैव उर्वरकों और पशु कटाई सुविधाएं जिनके अन्तर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने कलए संकर्म और
- (ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्याशाला।

IV श्रेणी ई: ग्रामीण अवसंरचना

- (i) विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाडी शौचालयां जैसे कार्यो से सम्बन्धित ग्रामीण स्वच्छता।
- (ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकता उपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालिया और पुलिया भी हैं का संनिर्माण।
- (iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण।

- (iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सडकों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्धार जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ जलमार्गों की मुरम्मत करने, चायर जीर्णोद्धार तटीय संरक्षण के लिए तुफानी जल नालियों का संनिर्माण सम्बन्धी संकर्म।
- (v) ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंधों, चकवात आश्रय, आंगनवाडी केन्द्रों, ग्रामीण होटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण।
- (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण।
- (vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन।
- (viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव और।
- (ix) कोई अन्य कार्य, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

संकर्म की प्राथमिकता क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों का ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।

ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय है, पुनरावृत्तीय है जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं जो नहीं की जाएंगी।

- 5 व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से सम्बन्धित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाएगी।

| | |
|-----|---|
| क | अनुसूचित जाति |
| ख | अनुसूचित जनजाति |
| ग | घुमन्तु जनजाति |
| ध | अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां |
| ड | गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब |
| च | महिला प्रधान वाले कुटुंब |
| छ | शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब |
| ज | भूमि सुधारों के फायदाग्राही |
| झ | इन्दिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही |
| त्र | अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही और |

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमान्त किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।

6. निधियों की भागीदारी:-

निम्नलिखित का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है:-

- क) अकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी।
- ख) 75 प्रतिशत राशि का व्यय जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।
- ग) प्रशासनिक खर्चा।

निम्नलिखित का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा:-

- क) 25 प्रतिशत राशि जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।
- ख) बेरोजगारी भत्ता।
- ग) राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल का प्रशासनिक खर्चा।

7. मजदूरी का भुगतान:-

- क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना के अधीन कार्य कर रहा है मजदूरी का हकदार होगा जो भारत सरकार / राज्य सरकार ने अधिसूचित की हो।
- ख) पुरुष एवं स्त्री कामगारों को समान वेतन मजदूरी दी जाएगी।
- ग) कामगारों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- घ) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी उन द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप दी जाती है जो कि दर सूची पर आधारित है।

8. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान:-

- i) इस योजना के तहत यदि आवेदक को अपने आवेदन की मांग प्राप्त के 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख से रोजगार के लिए आवेदन किया हो भत्ते का एक चौथाई हिस्सा एक माह तक प्रदान किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि को भत्ते की आधी मजदूरी प्रदान की जाएगी।
- ii) बेरोजगारी भत्ते का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए जिस दिन से सम्बन्धित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है।
- iii) राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं होगी यदि :-
 - अ आवेदक को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी ने काम के लिए निर्दिष्ट किया हो।
 - ब जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया हो वह समाप्त हो गई हो और परिवार के किसी सदस्य को रोजगार के लिए आवेदन न किया हो।
 - स आवेदक के परिवार में से व्यस्क सदस्य ने 100 दिनों का कार्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान कर लिया हो।
 - द यदि आवेदक ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के कार्य के बराबर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया हो।

9. कार्य योजना को तैयार करना:-

ग्राम सभा योजना के अधीन लिए गये कार्यों की सिफारिश करेगी जिनको ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित किया जाएगा और जिन्हे खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया

जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी को खण्ड कार्यक्रम अधिकारी का पदनाम दिया गया है। खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रस्तावों और कार्यों की, जिन्हे पंचायत समिति द्वारा खण्ड योजना में संकलित किया है, पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को प्रेषित करता है। उपायुक्त को जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) का पदनाम दिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) प्रस्तावों को एकत्रित करके इसे जिला परिषद से अनुमोदित करवाते हैं। जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी फंड के खाता में वर्ष 2013-14 की प्राप्ति व अदायगियों का ब्यौरा लाखों में

| प्राप्तियां | धनराशि | अदायगी | | |
|---|-------------------|--|----------------------|--|
| | | जिला का नाम | (अग्रिम राशि) | |
| आरम्भिक शेष | 7,65,97,307 | | | |
| केन्द्रीय हिस्सा | 477,97,09,000 | | | |
| राज्य हिस्सा | 4,791,51,000 | pEck | 75,78,00,000 | |
| विविध प्राप्तियां (interest income) | 122,43,881 | fljekSj | 35,46,00,000 | |
| 100 दिनों से अधिक रोजगार देने पर की गई वसूली। | 23,72,334 | dkaxMk | 114,78,00,000 | |
| Amount received on account of training | 19,50,000 | e.Mh | 132,03,00,000 | |
| | | fcykliqj | 26,57,00,000 | |
| | | gehjiqj | 22,86,00,000 | |
| | | dqYyw | 9,90,00,000 | |
| | | fdUukSj | 35,24,00,000 | |
| | | yk0 ,oa fLifr | 2,54,00,000 | |
| | | f'keyk | 36,12,00,000 | |
| | | lksyu | 22,22,00,000 | |
| | | Åuk | 21,41,00,000 | |
| | | ;ksx | 534,91,00,000 | |
| | | Training fund transferred to New account | 19,50,000 | |
| | | vfUre 'ks''k | 9,73,522.000 | |
| कुल योग | 5352023522 | dqy ;ksx | 535,20,23,522 | |

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की प्रगति (upto 2-12-2014)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष की प्रगति का विवरण

(रु0 लाखों में)

| A | भौतिक प्रगति | चम्बा | सिरमौर | कांगडा | मण्डी | बिलासपुर | हमीरपुर | किन्नौर | कुल्लू | ला0 एवं स्पिति | शिमला | सोलन | ऊना | योग |
|----|---|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 1 | कुल परिवारों की संख्या जिन्हें जॉब कार्ड जारी किये | 105635 | 78492 | 235537 | 221673 | 65488 | 85112 | 15128 | 89814 | 6200 | 119863 | 80618 | 72066 | 1175626 |
| 2 | रोजगार मांगने वाले कुल परिवारों की संख्या | 68764 | 38053 | 111396 | 141972 | 28119 | 28303 | 9045 | 45427 | 3502 | 52926 | 25301 | 19403 | 572211 |
| 3 | कुल परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया | 64181 | 35820 | 103377 | 135038 | 26490 | 26644 | 8815 | 43855 | 3386 | 50778 | 23326 | 17513 | 539223 |
| 4 | कुल अर्जित कार्यदिवस [लाखों में] | 34.48 | 18.45 | 56.68 | 74.19 | 14.09 | 13.60 | 5.14 | 21.30 | 1.56 | 20.86 | 11.68 | 10.46 | 282.49 |
| 5 | अनुसूचित जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस | 6.54 | 6.16 | 14.87 | 21.52 | 3.71 | 4.15 | 2.02 | 6.57 | 0.09 | 6.13 | 4.3 | 4.26 | 80.32 |
| 6 | प्रतिशतता | 19 | 33 | 26 | 29 | 26 | 31 | 39 | 31 | 6 | 29 | 37 | 41 | 28 |
| 7 | अनुसूचित जन-जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस | 10.13 | 0.23 | 3.60 | 0.85 | 0.57 | 0.13 | 3.08 | 0.3 | 1.45 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 20.82 |
| 8 | प्रतिशतता | 29 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 60 | 1 | 93 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | महिलाओं द्वारा अर्जित कार्यदिवस | 16.20 | 5.81 | 40.82 | 56.50 | 7.80 | 10.22 | 3.55 | 12.2 | 1.07 | 10.68 | 5.14 | 6.61 | 176.60 |
| 10 | प्रतिशतता | 47 | 31 | 72 | 76 | 55 | 75 | 69 | 57 | 69 | 51 | 44 | 63 | 63 |
| 11 | 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या | 6118 | 4161 | 13426 | 14054 | 3147 | 2933 | 1015 | 2895 | 157 | 1363 | 2210 | 3957 | 55436 |
| 12 | कुल कार्यों की संख्या | 9904 | 5071 | 11269 | 17496 | 5817 | 3156 | 790 | 6711 | 622 | 6841 | 2797 | 1793 | 72267 |
| 13 | पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या | 5338 | 2979 | 8395 | 9736 | 3044 | 3471 | 844 | 5026 | 380 | 5653 | 1585 | 1464 | 47915 |
| 14 | प्रतिशतता | 35 | 37 | 43 | 36 | 34 | 52 | 52 | 43 | 38 | 45 | 36 | 45 | 40 |
| 15 | प्रगति पर कार्यों की संख्या | 15242 | 8050 | 19664 | 27232 | 8861 | 6627 | 1634 | 11737 | 1002 | 12494 | 4382 | 3257 | 120182 |
| B | वित्तीय प्रगति | चम्बा | सिरमौर | कांगडा | मण्डी | बिलासपुर | हमीरपुर | किन्नौर | कुल्लू | ला0 एवं स्पिति | शिमला | सोलन | ऊना | योग |
| 1 | vkjfeHkd 'ks"k 1-4-2013 ½Tentative½ | 572.81 | 338.98 | 704.74 | 1128.33 | 231.62 | 658.52 | 154.27 | 480.59 | 56.41 | 640.67 | 315.13 | 228.35 | 5510.42 |
| 2 | ftykss dks fueqZDr dh xbZ jkf'k (yk[kksa es) | 7578.00 | 3546.00 | 11478.00 | 13203.00 | 2657.00 | 2286.00 | 990.00 | 3524.00 | 254.00 | 3612.00 | 2222.00 | 2141.00 | 53491 |
| 3 | fofo/k izkfIr;ka | 99.15 | 42.15 | 112.58 | 144.54 | 22.32 | 63.29 | 15.44 | 29.30 | 4.91 | 59.04 | 23.74 | 29.83 | 646.29 |
| 4 | dqy ;ksx | 8249.96 | 3927.13 | 12295.32 | 14475.87 | 2910.94 | 3007.81 | 1159.71 | 4033.89 | 315.32 | 4311.71 | 2560.87 | 2399.18 | 59647.71 |
| 5 | dqy [kPkkZ | 7641.87 | 3799.56 | 12018.85 | 14243.58 | 2819.99 | 2906.15 | 1102.96 | 3939.94 | 276.75 | 3981.24 | 2173.17 | 2305.13 | 57209.19 |
| 6 | izfr'kRkrk | 93 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 88 | 92 | 85 | 96 | 96 |
| 7 | अकुशल मजदूरी पर व्यय | 4995.75 | 2387.36 | 7392.50 | 10245.20 | 1877.80 | 1761.77 | 864.33 | 2796.20 | 224.48 | 2581.91 | 1477.51 | 1358.88 | 37963.69 |
| 8 | अर्ध कुशल मजदूरी व कुशल मजदूरी पर व्यय | 297.65 | 105.81 | 306.98 | 430.66 | 45.02 | 57.81 | 41.64 | 116.46 | 8.18 | 180.75 | 38.09 | 66.79 | 1695.84 |
| 9 | सामग्री पर व्यय | 2042.53 | 1122.67 | 3699.42 | 3062.71 | 778.57 | 916.72 | 143.83 | 836.75 | 28.35 | 971.46 | 525.78 | 776.5 | 14905.29 |
| 10 | प्रशासनिक व्यय [लाखों में] | 305.45 | 180.77 | 605.89 | 499.30 | 118.40 | 168.97 | 53.16 | 188.46 | 15.74 | 246.41 | 129.92 | 101.77 | 2614.24 |
| 11 | कर | 0.49 | 2.95 | 14.06 | 5.71 | 0.2 | 0.88 | 0 | 2.07 | 0 | 0.71 | 1.87 | 1.19 | 30.13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | izfr'kRkrk | 93 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 88 | 92 | 85 | 96 | 96 |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

4. इन्दिरा आवास योजना:-

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गृहहीन व्यक्तियों के लिए नये घरों के निर्माण के लिए 75000/- रू० प्रति लाभार्थी सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही है। लक्ष्यों का आबंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-


1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कुल आबंटन का 60 प्रतिशत
2. अन्य कुल आबंटन का 40 प्रतिशत
3. अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 15 प्रतिशत
4. अपंग अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 3 प्रतिशत

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(नये मकानों का निर्माण)

| क्र० सं० | जिला का नाम | लक्ष्य | उपलब्धि | व्यय (राशि लाख रू० में) |
|----------|--------------|--------|---------|----------------------------|
| 1. | बिलासपुर | 384 | 384 | 284.84 |
| 2. | चम्बा | 949 | 815 | 548.363 |
| 3. | हमीरपुर | 383 | 382 | 268.24 |
| 4. | कांगड़ा | 1130 | 1110 | 674.597 |
| 5. | किन्नौर | 325 | 54 | 142.26 |
| 6. | कुल्लू | 478 | 459 | 358.50 |
| 7. | लाहौल-स्पिति | 144 | 144 | 88.72 |
| 8. | मण्डी | 1070 | 1089 | 692.59 |
| 9. | शिमला | 681 | 681 | 510.75 |
| 10. | सिरमौर | 569 | 569 | 460.93 |
| 11. | सोलन | 548 | 500 | 387.35 |
| 12. | ऊना | 403 | 378 | 295.085 |
| कुल योग | | 7064 | 6565 | 4712.23 |

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति




5. राजीव आवास योजना:-

यह योजना राज्य आवासीय योजना है, जोकि इन्दिरा आवास योजना की पद्धती पर चलाई जा रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका में दर्शाई गई है:-

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (नये मकानों का निर्माण)

| क्र०सं० | जिला का नाम | लक्ष्य | निर्मित मकान | व्यय (राशि लाख रु० में) | निर्माणाधीन मकान |
|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------|
| 1. | बिलासपुर | 95 | 95 | 60.58 | 0 |
| 2. | चम्बा | 289 | 64 | 115.968 | 225 |
| 3. | हमीरपुर | 107 | 107 | 80.66 | 0 |
| 4. | कांगड़ा | 346 | 148 | 229.521 | 198 |
| 5. | किन्नौर | 33 | 3 | 15.82 | 30 |
| 6. | कुल्लू | 61 | 40 | 45.79 | 21 |
| 7. | लाहौल-स्पिति | 32 | 21 | 27.41 | 11 |
| 8. | मण्डी | 226 | 89 | 157.51 | 137 |
| 9. | शिमला | 173 | 173 | 129.75 | 0 |
| 10. | सिरमौर | 75 | 75 | 52.83 | 0 |
| 11. | सोलन | 96 | 88 | 69.83 | 8 |
| 12. | ऊना | 83 | 74 | 59.55 | 9 |
| कुल योग | | 1616 | 977 | 1045.219 | 639 |

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति



6. मातृ शक्ति बीमा योजना


यह योजना केवल महिलाओं के लिए है इस योजना के अर्न्तगत 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभ के लिए पात्र हैं। प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने मातृ शक्ति बीमा योजना नामक महिला योजना प्रारम्भ की है। इसका बीमा सम्बन्धित पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को मु0 187.50 लाख रू0 निर्मुक्त किए गए जिसमें से 188 मामले निपटाये गए। यह योजना परिवार की बीमागत महिला की मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो की स्थिति में मु0 1.00 लाख रू0 राहत प्रदान करती है:-

1. दुर्घटना से ।
2. किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबन्दी, सिजेरियन, गर्भाष्य, वक्षस्थल निकालने, बशर्ते मृत्यु आप्रेशन के सात दिन के भीतर हुई हो।
3. प्रजनन के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से।
4. डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक, सर्पदंष, भूचाल, आंधी तूफान से।
5. विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भी यह योजना लागू है।
6. दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर मु0 1.00 लाख तथा एक अंग और एक आंख की क्षति पर मु 0.50 लाख रू0 की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
7. महिला के पति की मृत्यु होने पर मु0 1.00 लाख रू0 सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की संख्या


| क्र०सं० | जिला का नाम | परिवार लाभान्वित | धनराशि वितरित की गई (लाखों में) |
|---------|--------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | बिलासपुर | 15 | 14.50 |
| 2. | चम्बा | 33 | 33.00 |
| 3. | हमीरपुर | 5 | 5.00 |
| 4. | कांगड़ा | 19 | 19.00 |
| 5. | किन्नौर | 6 | 6.00 |
| 6. | कुल्लू | 10 | 10.00 |
| 7. | लाहौल-स्पिति | 0 | 0.00 |
| 8. | मण्डी | 31 | 31.00 |
| 9. | शिमला | 49 | 49.00 |
| 10. | सिरमौर | 11 | 11.00 |
| 11. | सोलन | 3 | 3.00 |
| 12. | ऊना | 6 | 6.00 |
| कुल योग | | 188 | 187.50 |

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की संख्या



| | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 29 | कुल्लू-III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | कुल्लू-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | कुल्लू-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | मण्डी- II | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 10.630 | 7.62 | 124 |
| 33 | मण्डी-III | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 10.540 | 10.26 | 17 |
| 34 | मण्डी-IV | 16.360 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 35.570 | 22.94 | 42 |
| 35 | मण्डी-V | 28.752 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 30.360 | 26.26 | 231 |
| 36 | मण्डी-VI | 66.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.050 | 58.09 | 215 |
| 37 | मण्डी-VII | 61.012 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 61.02 | 51.74 | 413 |
| | योग | 183.819 | 0 | 0 | 0 | 30.351 | 214.170 | 176.91 | 1042 |
| 38 | शिमला- I | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 21.130 | 0 | 0 |
| 39 | शिमला- II | 7.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.726 | 4.48 | 0 |
| 40 | शिमला-III | 70.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.858 | 46.18 | 200 |
| 41 | शिमला- IV | 49.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.890 | 0 | 0 |
| 42 | शिमला-V | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.00 | 50 |
| 43 | शिमला- VI | 130.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.70 | 32.61 | 0 |
| 44 | शिमला- VII | 104.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 72.94 | 1532 |
| 45 | शिमला-VIII | 60.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.611 | 38.08 | 1271 |
| 46 | शिमला-IX | 14.60 | 60.333 | 5.625 | 65.958 | 1.542 | 82.100 | 0 | 0 |
| | योग | 459.945 | 60.333 | 5.625 | 65.958 | 19.522 | 545.425 | 201.290 | 3053 |
| 47 | सिरमौर- III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | सिरमौर-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | सिरमौर- V | 22.630 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.170 | 23.170 | 417 |
| 50 | सिरमौर-VI | 27.120 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 27.760 | 27.760 | 465 |
| | योग | 49.750 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 50.930 | 50.930 | 882 |
| 51 | सोलन-II | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 |
| 52 | सोलन-III | 35.389 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 45.389 | 3.356 | 48 |
| 53 | सोलन-IV | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 6.039 | 1.735 | 28 |
| 54 | सोलन-V | 13.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 8.40 | 137 |
| | योग | 54.575 | 0 | 0 | 0 | 14.560 | 69.135 | 13.491 | 213 |
| | कुल योग | 1309.496 | 145.162 | 15.760 | 160.922 | 111.512 | 1581.930 | 758.218 | 10444 |

Detail of funds released,expenditure incurred & area covered during the year 2013-14




2. सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम:

यह कार्यक्रम प्रदेश के तीन जिलों में वर्ष 1995-96 से जिला बिलासपुर, उना तथा जिला सोलन के विकास खण्ड कुनिहार तथा धर्मपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 तक यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 की वित्तीय भागीदारी से चलाया जा रहा था। लेकिन 1.4.1999 से भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये नये वाटरशेड के लिए वित्तीय भागीदारी 50:50 से बदल कर 75:25 कर दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त की गई धनराशि | | | विविध प्राप्ति | कुल प्राप्त धन राशि | व्यय | भौतिक उपलब्धियाँ |
|----------|--------------------------|----------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | केन्द्रीय भाग | राज्य भाग | योग | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | बिलासपुर छठा चरण | 20.393 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 24.941 | 24.941 | 294 |
| 2 | बिलासपुर सातवाँ चरण | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 12.524 | 12.524 | 91 |
| 3 | बिलासपुर आठवाँ चरण | 6.288 | 0 | 0 | 0 | -0.900 | 5.388 | 5.388 | 62 |
| 4 | बिलासपुर हरियाली प्रथम | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 8.306 | 8.306 | 72 |
| 5 | बिलासपुर हरियाली द्वितीय | 26.398 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 30.699 | 30.699 | 286 |
| 6 | बिलासपुर हरियाली तृतीय | 58.107 | 0 | 0 | 0 | -1.734 | 56.373 | 56.373 | 724 |
| 7 | बिलासपुर हरियाली चतुर्थ | 13.591 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 23.986 | 23.986 | 135 |
| | योग | 140.138 | 0 | 0 | 0 | 22.079 | 162.217 | 162.217 | 1664 |
| 8 | सोलन प्रथम चरण | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 |
| 9 | सोलन द्वितीय चरण | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 |
| 10 | सोलन पाचवाँ चरण | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 |
| 11 | सोलन छठा चरण | 74.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.828 | 7.499 | 101 |
| 12 | सोलन सातवाँ चरण | 12.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.124 | 2.100 | 36 |
| 13 | सोलन आठवाँ चरण | 37.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.082 | 0.782 | 12 |
| 14 | सोलन हरियाली प्रथम | 48.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.531 | 0.40 | 6 |
| 15 | सोलन हरियाली द्वितीय | 42.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.850 | 19.064 | 281 |
| 16 | सोलन हरियाली तृतीय | 17.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.261 | 14.60 | 218 |
| 17 | सोलन हरियाली चतुर्थ | 9.052 | 52.539 | 17.52 | 70.059 | 0 | 79.111 | 13.531 | 221 |
| | योग | 250.477 | 52.539 | 17.52 | 70.059 | 0 | 320.536 | 57.976 | 875 |
| 18 | उना छठा चरण | 94.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.150 | 65.79 | 582 |
| 19 | उना सातवाँ चरण | 29.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.768 | 28.170 | 412 |
| 20 | उना आठवाँ चरण | 13.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.889 | 13.70 | 993 |
| 21 | उना हरियाली प्रथम | 53.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.201 | 21.630 | 260 |
| 22 | उना हरियाली द्वितीय | 83.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0613 | 26.480 | 464 |
| 23 | उना हरियाली तृतीय | 96.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.157 | 24.950 | 308 |
| 24 | उना हरियाली चतुर्थ | 103.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0394 | 46.780 | 455 |
| | योग | 473.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2657 | 227.50 | 3474 |
| | कुल योग | 863.8807 | 52.539 | 17.520 | 70.059 | 22.079 | 956.0187 | 447.693 | 6013 |

Detail of funds released, expdt. incurred and area treated during the year 2013-14




3. मरुस्थल विकास कार्यक्रम:

मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रदेश के जिला लाहौल स्पिति तथा जिला किन्नौर के विकास खण्ड पूह में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 552 सूक्ष्म जलागम परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त धनराशि, व्यय तथा उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्र० स० | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | वर्ष 2013-14 निर्मुक्त की गई धनराशि | | | विविध प्राप्ति | कुल प्राप्त धनराशि | व्यय | भौतिक उपलब्धियां |
|------------|-------------------------|----------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | केन्द्रीय भाग | राज्य भाग | योग | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | किन्नौर छटा चरण | 45.41 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 47.11 | 21.83 | 358 |
| 2. | किन्नौर सातवां चरण | 144.67 | 0 | 21.25 | 21.25 | 4.85 | 170.77 | 91.89 | 1523 |
| 3. | किन्नौर आठवां चरण | 62.74 | 0 | 12.50 | 12.50 | 2.00 | 77.24 | 76.40 | 1236 |
| 4. | किन्नौर हरियाली-1 | 111.86 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 115.80 | 37.24 | 572 |
| 5. | किन्नौर हरियाली-2 | 29.95 | 91.87 | 0 | 91.87 | 1.84 | 123.660 | 36.91 | 595 |
| 6. | किन्नौर हरियाली-3 | 130.67 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 135.33 | 75.11 | 1251 |
| 7. | किन्नौर हरियाली-4 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 8.64 | 132 |
| | योग | 534.32 | 91.87 | 33.75 | 125.62 | 18.99 | 678.930 | 348.02 | 5667 |
| 8. | लाहौल स्पिति प्रथम चरण | 71.56 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 74.45 | 0 | 0 |
| 9. | लाहौल स्पिति पांचवा चरण | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 56.78 | 13.02 | 207 |
| 10. | लाहौल स्पिति छटा चरण | 74.20 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 77.46 | 17.28 | 258 |
| 11. | लाहौल स्पिति सातवां चरण | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 20.18 | 2.06 | 33 |
| 12. | लाहौल स्पिति आठवां चरण | 28.35 | 280.76 | 96.75 | 377.51 | 7.23 | 413.09 | 236.28 | 2383 |
| 13. | लाहौल स्पिति | 64.77 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 67.28 | 0.53 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| | हरियाली-1 | | | | | | | | |
| 14. | लाहौल स्पिति हरियाली-2 | 69.44 | 138.99 | 51.75 | 190.74 | 5.72 | 265.90 | 17.78 | 205 |
| 15. | लाहौल स्पिति हरियाली-3 | 54.53 | 169.85 | 60.75 | 230.60 | 6.03 | 291.16 | 22.39 | 202 |
| 16. | लाहौल स्पिति हरियाली-4 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 30.66 | 14.65 | 80 |
| | योग | 466.96 | 589.60 | 209.25 | 798.85 | 31.15 | 1296.96 | 323.99 | 3374 |
| | कुल योग | 1001.28 | 681.47 | 243.00 | 924.47 | 50.14 | 1975.89 | 672.010 | 9041 |

Detail of funds released & expdt. Incurred under DDP during the year 2013-14



4. एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम:

भारत सरकार द्वारा 1.04.2008 से नये दिशा निर्देश वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त के नाम से जारी किए गए हैं जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा मु0 1141.074 करोड़ रू0 की धनराशि 760716 है0 वर्षा पर आधारित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 2012-13 तथा 2013-14 में 146 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। यह परियोजनाएं 90:10 कमशः भारत सरकार व राज्य सरकार की भागीदारी से वहन की जायेगी।

चरण-वार वर्ष 2013-14 में प्राप्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि तथा उपचारित क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-


izFke pj.k

| क्रम सं0 | जिला का नाम | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | प्राप्त धनराशि | | | विविध प्राप्त | कुल प्राप्त धन राशि | व्यय (रूपये लाखों में) | भौतिक उपलब्धियां |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|--------|---------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | केन्द्र | राज्य | कुल | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | बिलासपुर | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.I | 80.380 | 37.380 | 4.153 | 41.533 | 2.469 | 124.382 | 81.796 | 545 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0-II | 37.069 | 19.980 | 2.220 | 22.20 | 1.352 | 60.621 | 34.409 | 155 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.III | 9.441 | 12.531 | 1.392 | 13.923 | 0.418 | 23.782 | 15.011 | 145 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|
| | | कुल | 126.89 | 69.891 | 7.765 | 77.656 | 4.239 | 208.785 | 131.216 | 845 |
| 2 | चम्बा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०। | 84.591 | 64.629 | 7.181 | 71.81 | 2.130 | 158.531 | 95.466 | 917 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-II | 77.595 | 59.186 | 6.576 | 65.762 | 1.818 | 145.175 | 92.234 | 732 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 54.635 | 49.003 | 5.445 | 54.448 | 0.946 | 110.029 | 72.208 | 667 |
| | | कुल | 216.821 | 172.818 | 19.202 | 192.02 | 4.894 | 413.735 | 259.908 | 2316 |
| 3 | हमीरपुर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०। | 28.244 | 24.00 | 2.667 | 26.667 | 1.140 | 56.051 | 17.80 | 150 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 52.325 | 42.857 | 4.762 | 47.619 | 1.890 | 101.834 | 51.540 | 303 |
| | | कुल | 80.569 | 66.857 | 7.429 | 74.286 | 3.030 | 157.885 | 69.340 | 453 |
| 4 | कागांडा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I | 99.230 | 44.194 | 4.910 | 49.104 | 3.806 | 152.140 | 75.238 | 445 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 113.015 | 50.014 | 5.557 | 55.571 | 3.687 | 172.273 | 91.591 | 551 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-III | 72.564 | 39.309 | 4.368 | 43.677 | 0.598 | 116.839 | 36.750 | 527 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.४V | 110.343 | 47.169 | 5.241 | 52.41 | 4.751 | 167.504 | 83.717 | 577 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V | 126.654 | 49.517 | 5.502 | 55.019 | 4.494 | 186.167 | 89.910 | 610 |
| | | कुल | 521.806 | 230.203 | 25.578 | 255.781 | 17.336 | 794.923 | 377.206 | 2710 |
| 5 | किन्नौर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०। | 46.487 | 30.00 | 3.333 | 33.333 | 2.044 | 81.864 | 25.950 | 49 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 13.501 | 25.714 | 2.857 | 28.571 | 0.586 | 42.658 | 10.440 | 21 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी० | 12.144 | 30.00 | 3.333 | 33.333 | 0.997 | 46.474 | 21.925 | 201 |
| | | कुल | 72.132 | 85.714 | 9.523 | 95.237 | 3.627 | 170.996 | 58.315 | 271 |
| 6 | कुल्लू | आई०डब्ल्यू०एम०पी०। | 35.064 | 51.283 | 5.698 | 56.981 | 0.770 | 92.815 | 32.064 | 133 |
| | | कुल | 35.064 | 51.283 | 5.698 | 56.981 | 0.770 | 92.815 | 32.064 | 133 |
| 7 | लाहौल स्पिति | आई०डब्ल्यू०एम०पी० .I | 76.913 | 42.857 | 4.762 | 47.619 | 2.280 | 126.812 | 18.290 | 51 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 73.932 | 42.857 | 4.762 | 47.619 | 3.460 | 125.011 | 8.390 | 13 |
| | | कुल | 150.845 | 85.714 | 9.524 | 95.238 | 5.740 | 251.823 | 26.68 | 64 |
| 8 | मण्डी | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I | 32.534 | 68.966 | 7.663 | 76.629 | 0 | 109.163 | 59.445 | 71 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 130.362 | 80.734 | 8.970 | 89.704 | 0 | 220.066 | 171.763 | 339 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 71.708 | 72.737 | 8.082 | 80.819 | 0 | 152.527 | 62.276 | 69 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 30.611 | 57.30 | 6.367 | 63.667 | 0 | 94.278 | 52.378 | 108 |
| | | कुल | 265.215 | 279.737 | 31.082 | 310.819 | 0 | 576.034 | 345.862 | 587 |
| 9 | शिमला | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I | 64.144 | 43.054 | 4.784 | 47.838 | 3.790 | 115.772 | 65.220 | 46 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 71.529 | 47.314 | 5.257 | 52.571 | 3.190 | 127.290 | 45.130 | 23 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 79.369 | 44.477 | 4.942 | 49.419 | 2.880 | 131.668 | 58.650 | 24 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 54.771 | 43.200 | 4.80 | 48.00 | 2.790 | 105.561 | 63.130 | 2 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V | 59.255 | 49.209 | 5.468 | 54.677 | 3.180 | 117.112 | 50.040 | 31 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 19.070 | 38.940 | 4.327 | 43.267 | 2.510 | 64.847 | 72.40 | 18 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 16.619 | 32.863 | 3.651 | 36.514 | 2.120 | 55.253 | 39.630 | 3 |
| | | कुल | 364.757 | 299.057 | 33.229 | 332.286 | 20.460 | 717.503 | 394.20 | 147 |
| 10 | सिरमौर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०। | 74.376 | 64.397 | 7.155 | 71.552 | 1.947 | 147.875 | 70.111 | 325 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 74.874 | 51.737 | 5.749 | 57.486 | 2.629 | 134.989 | 32.660 | 132 |
| | | कुल | 149.25 | 116.134 | 12.904 | 129.038 | 4.576 | 282.864 | 102.771 | 457 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|------|
| 11 | सोलन | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.I | 81.942 | 68.571 | 7.619 | 76.19 | 0 | 158.132 | 53.981 | 198 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 106.881 | 59.546 | 6.616 | 66.162 | 0 | 173.043 | 96.465 | 446 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 121.641 | 95.666 | 10.630 | 106.296 | 0 | 227.937 | 98.653 | 386 |
| | | कुल | 310.464 | 223.783 | 24.865 | 248.648 | 0 | 559.112 | 249.099 | 1030 |
| 12 | उना | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.I | 69.888 | 65.940 | 7.327 | 73.267 | 1.550 | 144.705 | 67.830 | 213 |
| | | योग | 69.888 | 65.940 | 7.327 | 73.267 | 1.550 | 144.705 | 67.830 | 213 |
| | | कुल योग | 2363.701 | 1747.131 | 194.126 | 1941.257 | 66.222 | 4371.180 | 2114.491 | 9226 |

Batch-wise funds released, expenditure incurred & area treated under IWMP (1st Batch) 2013-14




f}rh; pj.k

| क्रम सं० | जिला का नाम | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | प्राप्त धनराशि | | | विविध प्राप्त | कुल प्राप्त धन राशि | व्यय (रूपये लाखों में) | भौतिक उपलब्धियां |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|-----|---------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | केन्द्र | राज्य | कुल | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | बिलासपुर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 119.714 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 121.304 | 66.253 | 399 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V | 54.574 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 55.086 | 37.690 | 138 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 28.623 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 29.220 | 16.686 | 48 |
| | | कुल | 202.911 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 205.610 | 120.629 | 585 |
| 2 | चम्बा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-IV | 184.416 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | 189.186 | 166.009 | 894 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V | 213.003 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 219.596 | 154.410 | 1163 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 152.561 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 156.526 | 83.863 | 339 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 187.672 | 0 | 0 | 0 | 4.810 | 192.482 | 121.346 | 434 |
| | | कुल | 737.652 | 0 | 0 | 0 | 20.138 | 757.790 | 525.628 | 2830 |
| 3 | हमीरपुर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 125.028 | 0 | 0 | 0 | 4.210 | 129.238 | 54.620 | 404 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | कुल | 125.028 | 0 | 0 | 0 | 4.210 | 129.238 | 54.620 | 404 |
| 4. | कागंडा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-VI | 139.594 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 146.083 | 79.601 | 100 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 132.547 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 138.203 | 85.437 | 30 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 119.653 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 125.787 | 62.717 | 40 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०-IX | 101.245 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 105.827 | 56.285 | 60 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X | 117.893 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 120.179 | 73.382 | 89 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI | 111.623 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 115.798 | 68.796 | 85 |
| | | कुल | 722.555 | 0 | 0 | 0 | 29.322 | 751.877 | 426.218 | 404 |
| 5. | किन्नौर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 87.640 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 91.376 | 25.79 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V | 50.070 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 50.119 | 1.40 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 57.920 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 60.077 | 23.920 | 14 |
| | | कुल | 195.630 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 201.572 | 51.110 | 14 |
| 6. | कुल्लू | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II | 93.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.751 | 71.950 | 281 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 184.350 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 195.064 | 136.135 | 805 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 108.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.994 | 75.750 | 414 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.ट | 199.711 | 0 | 0 | 0 | 13.424 | 213.135 | 134.750 | 442 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 105.820 | 0 | 0 | 0 | 2.760 | 108.580 | 65.670 | 96 |
| | | कुल | 692.626 | 0 | 0 | 0 | 26.898 | 719.524 | 484.255 | 2038 |
| 7 | लाहौल स्मिति | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 121.604 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 125.164 | 20.460 | 101 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 149.829 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 154.189 | 38.070 | 215 |
| | | कुल | 271.433 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 279.353 | 58.530 | 316 |
| 8 | मण्डी | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 99.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.727 | 93.266 | 412 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.ट | 94.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.232 | 73.238 | 524 |
| | | कुल | 193.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.959 | 166.504 | 936 |
| 9 | शिमला | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 118.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.608 | 70.870 | 13 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX | 72.758 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 75.488 | 41.160 | 23 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X | 128.449 | 0 | 0 | 0 | 4.580 | 133.029 | 96.90 | 86 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI | 116.713 | 0 | 0 | 0 | 4.330 | 121.043 | 68.920 | 30 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII | 144.910 | 0 | 0 | 0 | 5.210 | 150.120 | 66.60 | 20 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII | 90.414 | 0 | 0 | 0 | 3.180 | 93.594 | 76.160 | 27 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV | 325.014 | 0 | 0 | 0 | 11.880 | 336.894 | 173.780 | 37 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी० .XV | 114.467 | 0 | 0 | 0 | 4.340 | 118.807 | 48.050 | 55 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVI | 92.122 | 0 | 0 | 0 | 3.380 | 95.502 | 60.890 | 36 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०. XVII | 53.546 | 0 | 0 | 0 | 2.310 | 55.856 | 14.540 | 7 |
| | | कुल | 1257.001 | 0 | 0 | 0 | 41.940 | 1298.941 | 717.87 | 334 |
| 10 | सिरमौर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III | 117.475 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 119.688 | 67.293 | 338 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 124.471 | 0 | 0 | 0 | 0.990 | 125.461 | 77.158 | 393 |
| | | कुल | 241.946 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 245.149 | 144.451 | 731 |
| 11 | सोलन | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.905 | 57.853 | 435 |
| | | कुल | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.905 | 57.853 | 435 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|----------|---|---|---|---------|----------|----------|-------|
| 12 | ऊना | आई०डब्ल्यू०एम०पी०II | 104.117 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 104.385 | 11.090 | 14 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०III | 273.452 | 0 | 0 | 0 | 8.156 | 281.608 | 103.620 | 615 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०IV | 53.492 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 53.571 | 16.570 | 104 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०V | 220.731 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 221.652 | 42.690 | 232 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०VI | 61.395 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 61.648 | 18.720 | 40 |
| | | कुल | 713.187 | 0 | 0 | 0 | 9.677 | 722.864 | 192.690 | 1005 |
| | | कुल योग | 5461.833 | 0 | 0 | 0 | 151.949 | 5613.782 | 3000.358 | 10032 |

Batch-wise funds released, expenditure incurred and area treated (2nd Batch) 2013-14




r`rh; pj.k

| क्रम सं० | जिला का नाम | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | प्राप्त धनराशि | | | विविध राशि प्राप्त | कुल प्राप्त धन राशि | ट यय (रूपये लाखों में) | भौतिक उपलब्धियां |
|----------|-------------|------------------------|-------------------|----------------|--------|---------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | केन्द्र | राज्य | कुल | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | चम्बा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 56.125 | 52.501 | 6.062 | 58.563 | 1.875 | 116.563 | 62.453 | 117 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX | 38.806 | 36.839 | 4.254 | 41.093 | 1.416 | 81.315 | 50.256 | 87 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X | 50.347 | 46.135 | 5.327 | 51.462 | 1.593 | 103.402 | 50.395 | 261 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI | 38.142 | 35.324 | 4.079 | 39.403 | 1.293 | 78.838 | 44.239 | 187 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV | 48.689 | 43.059 | 4.972 | 48.031 | 1.543 | 98.263 | 44.507 | 223 |
| | | कुल | 232.109 | 213.858 | 24.694 | 238.552 | 7.720 | 478.381 | 251.850 | 875 |
| 2 | हमीरपुर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV | 41.660 | 44.919 | 5.187 | 50.106 | 1.50 | 93.266 | 38.740 | 402 |
| | | कुल | 41.660 | 44.919 | 5.187 | 50.106 | 1.50 | 93.266 | 38.740 | 402 |
| 3 | कांगडा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII | 43.957 | 41.116 | 4.748 | 45.864 | 1.677 | 91.498 | 32.064 | 102 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII | 45.416 | 42.264 | 4.880 | 47.144 | 1.750 | 94.310 | 17.492 | 58 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV | 49.374 | 43.817 | 5.059 | 48.876 | 1.828 | 100.078 | 38.512 | 220 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XV | 41.679 | 38.683 | 4.467 | 43.150 | 0.959 | 85.788 | 17.573 | 21 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVII | 65.648 | 58.912 | 6.802 | 65.714 | 2.683 | 134.045 | 12.847 | 20 |

| | | कुल | 246.074 | 224.792 | 25.956 | 250.748 | 8.897 | 505.719 | 118.488 | 421 |
|----|-----------------|-------------------------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|------|
| 4 | किन्नौर | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VII | 22.415 | 15.302 | 1.767 | 17.069 | 0.546 | 40.03 | 0 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII | 23.315 | 22.953 | 2.650 | 25.603 | 0.837 | 49.755 | 2.930 | 0 |
| | | कुल | 45.730 | 38.255 | 4.417 | 42.672 | 1.383 | 89.785 | 2.930 | 0 |
| 5 | कुल्लू | आई0डब्ल्यू0एम0पी0-IX | 44.426 | 65.775 | 7.595 | 73.370 | 1.560 | 119.356 | 53.116 | 154 |
| | | कुल | 44.426 | 65.775 | 7.595 | 73.370 | 1.560 | 119.356 | 53.116 | 154 |
| 6 | लाहौल स्पिति | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V | 45.10 | 38.254 | 4.417 | 42.672 | 1.270 | 89.042 | 25.90 | 173 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII | 45.10 | 38.255 | 4.417 | 42.672 | 0.990 | 88.762 | 24.370 | 24 |
| | | कुल | 90.20 | 76.509 | 8.834 | 85.344 | 2.260 | 177.804 | 50.270 | 197 |
| 7 | मण्डी | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VII | 36.321 | 32.975 | 3.808 | 36.783 | 0 | 73.104 | 29.896 | 70 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII | 44.768 | 40.573 | 4.685 | 45.258 | 0 | 90.026 | 44.50 | 29 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0-IX | 45.872 | 41.675 | 4.812 | 46.487 | 0 | 92.359 | 47.664 | 220 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.X | 52.829 | 48.491 | 5.599 | 54.091 | 0 | 106.92 | 54.685 | 61 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XI | 45.920 | 42.723 | 4.933 | 47.656 | 0 | 93.576 | 40.657 | 40 |
| | | कुल | 225.710 | 206.437 | 23.837 | 230.275 | 0 | 455.985 | 217.402 | 420 |
| 8 | शिमला | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XVIII | 32.542 | 29.272 | 3.380 | 32.652 | 0.660 | 65.854 | 17.910 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XIX | 26.178 | 22.723 | 2.624 | 25.347 | 0.540 | 52.065 | 13.620 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXIII | 28.560 | 25.814 | 2.981 | 28.795 | 0.710 | 58.065 | 17.760 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXIV | 18.440 | 17.444 | 2.014 | 19.458 | 0.950 | 38.848 | 17.050 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXV | 23.167 | 20.314 | 2.346 | 22.659 | 0.560 | 46.386 | 10.360 | 0 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXVI | 22.581 | 20.153 | 2.327 | 22.480 | 0.550 | 45.611 | 10.010 | 0 |
| | | कुल | 151.468 | 135.720 | 15.672 | 151.391 | 3.970 | 306.829 | 86.710 | 0 |
| 9 | सिरमौर | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V | 44.991 | 46.334 | 5.350 | 51.684 | 1.059 | 97.734 | 30.954 | 157 |
| | | कुल | 44.991 | 46.334 | 5.350 | 51.684 | 1.059 | 97.734 | 30.954 | 157 |
| 10 | सोलन | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V | 66.855 | 62.783 | 7.249 | 70.032 | 0 | 136.887 | 81.699 | 574 |
| | | आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VI | 24.323 | 21.346 | 2.465 | 23.811 | 0.312 | 48.446 | 17.691 | 112 |
| | | कुल | 91.178 | 84.129 | 9.714 | 93.843 | 0.312 | 185.333 | 99.390 | 686 |
| | | कुल योग | 1213.546 | 1136.728 | 131.256 | 1267.984 | 28.661 | 2510.191 | 949.850 | 3312 |

Batch-wise funds released ,expenditure incurred & area treated (3rd Batch) 2013-14




PkkSFkk pj.k

| क्र० सं० | जिला का नाम | परियोजना का नाम | शेष राशि 1.4.2013 | प्राप्त धनराशि | | | विविध राशि प्राप्त | कुल प्राप्त धन राशि | व्यय (रूपये लाखों में) | भौतिक उपलब्धियां |
|----------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | केन्द्र | राज्य | कुल | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | बिलासपुर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 65.237 | 7.249 | 72.486 | 0.333 | 72.819 | 2.498 | 5 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 0 | 48.428 | 5.380 | 53.808 | 0.000 | 53.809 | 11.520 | 20 |
| | | कुल | 0 | 113.665 | 12.629 | 126.294 | 0.333 | 126.628 | 14.018 | 25 |
| 2 | चम्बा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII | 0 | 104.365 | 11.596 | 115.961 | 0.203 | 116.164 | 32.420 | 152 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII | 0 | 122.406 | 13.601 | 136.007 | 0.209 | 136.216 | 43.107 | 105 |
| | | कुल | 0 | 226.771 | 25.197 | 251.968 | 0.412 | 252.380 | 75.527 | 257 |
| 3 | कांगडा | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVI | 0 | 112.059 | 12.451 | 124.51 | 0 | 124.510 | 5.532 | 0 |
| | | कुल | 0 | 112.059 | 12.451 | 124.51 | 0 | 124.510 | 5.532 | 0 |
| 4. | कुल्लू | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 97.305 | 10.812 | 108.117 | 0 | 108.117 | 6.390 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 0 | 196.645 | 21.849 | 218.494 | 0 | 218.494 | 22.969 | 133 |
| | | कुल | 0 | 293.950 | 32.661 | 326.611 | 0 | 326.611 | 29.359 | 133 |
| 5 | लाहौल स्पिति | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 0 | 46.00 | 5.111 | 51.111 | 0.530 | 51.641 | 0 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 46.00 | 5.111 | 51.111 | 0.530 | 51.641 | 0 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX | 0 | 46.00 | 5.111 | 51.111 | 0.530 | 51.641 | 0 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X | 0 | 46.00 | 5.111 | 51.111 | 0.530 | 51.641 | 0 | 0 |
| | | कुल | 0 | 184.00 | 20.444 | 204.444 | 2.120 | 206.564 | 0 | 0 |
| 6 | शिमला | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XX | 0 | 45.832 | 5.092 | 50.924 | 0 | 50.924 | 2.60 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXI | 0 | 61.110 | 6.790 | 67.90 | 0 | 67.90 | 10.140 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXII | 0 | 20.787 | 2.310 | 23.097 | 0 | 23.097 | 1.210 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXVII | 0 | 74.594 | 8.288 | 82.882 | 0 | 82.882 | 5.860 | 0 |
| | | कुल | 0 | 202.323 | 22.480 | 224.803 | 0 | 224.803 | 19.810 | 0 |
| 7 | सिरमौर | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI | 0 | 110.565 | 12.285 | 122.85 | 1.328 | 124.178 | 11.923 | 38 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 101.918 | 11.324 | 113.242 | 1.209 | 114.451 | 10.017 | 0 |
| | | कुल | 0 | 212.483 | 23.609 | 236.092 | 2.537 | 238.629 | 21.940 | 38 |
| 8 | सोलन | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 76.929 | 8.548 | 85.477 | 0 | 85.477 | 24.30 | 169 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 0 | 133.444 | 14.827 | 148.271 | 0 | 148.271 | 18.254 | 285 |
| | | कुल | 0 | 210.373 | 23.375 | 233.748 | 0 | 233.748 | 42.554 | 454 |
| 9 | ऊना | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII | 0 | 79.282 | 8.809 | 88.091 | 0.405 | 88.496 | 0 | 0 |
| | | आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII | 0 | 44.263 | 4.919 | 49.182 | 0.226 | 49.908 | 0 | 0 |
| | | कुल | 0 | 123.545 | 13.728 | 137.273 | 0.631 | 137.904 | 0 | 0 |
| | | कुल योग | 0 | 1679.169 | 186.574 | 1865.743 | 6.033 | 1871.776 | 208.740 | 907 |

वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत घटक वार व्यय का जिलावार विवरण घटक-वार खर्चा (4/2013 से 3/2014)

रु0 लाख में

| क्र०सं० | जिला | पारिवारिक शौचालय | शौचालय परिसर | स्कूल शौचालय | आंगनवाड़ी शौचालय | स्टार्ट अप | प्रशासनिक | आई0ई0सी0 | ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन |
|---------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp |
| 1 | बिलासपुर | 195.1 | 25.5 | 44.8 | 0 | 0 | 3.23 | 27.47 | 16.82 |
| 2 | चम्बा | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.01 | 0 |
| 3 | हमीरपुर | 63.73 | 33.97 | 45.82 | 0.87 | 0 | 0.6 | 6.21 | 31.72 |
| 4 | कांगड़ा | 737.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 5.14 | 0 |
| 5 | किन्नौर | 0 | 9.2 | 3.2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कुल्लु | 0 | 49.84 | 121.25 | 0 | 0 | 0.38 | 2.9 | 0 |
| 7 | लाहौल स्पिति | 0 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | मण्डी | 18.27 | 12.06 | 148.29 | 0.8 | 0 | 3.13 | 43.4 | 0.01 |
| 9 | षिमला | 39.1 | 3.05 | 134.89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 112.5 |
| 10 | सिरमौर | 42.62 | 137.9 | 119.41 | 8.28 | 0 | 4.25 | 49.86 | 0 |
| 11 | सोलन | 174.14 | 31.26 | 124.3 | 1.8 | 0 | 1.24 | 5.67 | 22.69 |
| 12 | उना | 198.63 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27.82 |
| | जोड़ | 1688.9 | 338.05 | 741.96 | 12.36 | 0 | 15.36 | 211.66 | 211.56 |



महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

इस योजना को पूर्णरूप से स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा चुका है जिसमें महिला मण्डलों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत में स्वच्छता व

बाह्य शौचमुक्त करने में योगदान दिया हो । योजना के अन्तर्गत विजेता महिला मण्डलों के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में 131.04 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई ।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए । पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान) सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है । निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुरक्षित स्वच्छता व निर्मल वातावरण को बढ़ावा देना ।
2. पंचायती राज संस्थाओं को गावों को खुले में शौच मुक्त रखने व ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना ।
3. निर्मल वातावरण को बनाए रखने हेतु बढ़ावा देना ।
4. निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन में सामाजिक लामबंदी हेतु उत्प्रेरक भूमिका निभाने में विभिन्न संस्थाओं को बढ़ावा देना ।

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| वर्ष | निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या | वितरित पुरस्कार राशि |
|-------------|--|----------------------|
| 2007 | 22 ग्राम पंचायत | Rs. 26.00 लाख |
| 2008 | 245 ग्राम पंचायत व एक खण्ड | Rs. 363.00 लाख |
| 2009 | 253 ग्राम पंचायत | Rs. 364.50 लाख |
| 2010 | 168 ग्राम पंचायत | Rs. 261.50 लाख |
| 2011 | 323 ग्राम पंचायत | Rs. 430.50 लाख |
| 2012 | भारत सरकार द्वारा इस वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई | |
| 2013 | इस वर्ष 693 ग्राम पंचायतों ने अपने दावे प्रस्तुत किए जिनमें से अन्तःजिला वेरिफिकेशन उपरान्त 369 ग्राम पंचायतों को आगामी सेम्पल सर्वे जो भारत सरकार द्वारा किया जाना है के लिए प्रस्तावित किया गया , निर्णय आपेक्षित है | |

राज्य स्वच्छता पुरस्कार

1. महार्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार:

प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने व बाह्य शौच मुक्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा पर प्रतियोगिता आधारित राज्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 'महार्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार' को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बाह्य शौच मुक्त विजेता पंचायतों को हर वर्ष राज्य स्तरीय सामारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 147.00 लाख रुपये की पुरस्कार राशि विजेता ग्राम पंचायतों हेतु प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 1.00 लाख
- जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 3.00 लाख (300 ग्राम पंचायतों से अधिक के जिला में दो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जा सकता है)
- मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 5.00 लाख
- राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 10.00 लाख

2. स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत एक प्रोत्साहन योजना 2008-09 से प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान था। वर्ष 2011-12 में इस योजना को संशोधित करके हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूलों को भी योजना के दायरे में लाया गया है। इस प्रोत्साहन योजना की पुरस्कार राशि हर वर्ष हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को बांटी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 50000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 20000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह है। खण्ड स्तर पर द्वितीय पुरस्कार का भी प्रावधान है जिसके रूप में 10000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत मु0-88.20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

V- सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:-

सरकार/सचिवालय स्तर पर

| क्र0 सं0 | वर्तमान पद नाम | दूरभाष नम्बर | पदनाम |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. | संयुक्त निदेशक (ग्रामीण विकास) | 2623822(कार्य0) | अपील प्राधिकारी |
| 2. | अनुभाग अधिकारी (सी0डी0-1) | 2625484, (कार्य0) | राज्य जन सूचना अधिकारी |
| 3. | अधीक्षक (सी0डी0-1) | 2625484, (कार्य0) | राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी |

विभागीय स्तर पर

| क्र० सं० | वर्तमान पद नाम | दूरभाष नम्बर | पदनाम |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. | अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)/ संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास) | 2623830(कार्य०) | अपील प्राधिकारी |
| 2. | उप-निदेशक, (ग्रामीण विकास), | 2623789,(कार्य०) | राज्य जन सूचना अधिकारी |
| 3. | उप-निदेशक, (सांख्यिकीय), | 2623802,(कार्य०) | |
| 4. | अधिषाषी अभियन्ता (राज्यमुख्यालय) | 2623745,(कार्य०) | |
| 5. | सहायक निदेशक (एनबीए) | 2622302,(कार्य०) | |
| 6. | सहायक निदेशक (मनरेगा) | 2623802,(कार्य०) | |
| 7. | सहायक निदेशक (विशेष परियोजनाएं) | 2626321,(कार्य०) | |
| 8. | अधीक्षक-ग्रेड- II (सी०डी०- II) | 2623819 विस्तार सेवा 214 | |
| 9. | अधीक्षक-ग्रेड- II (सी०डी०- III) | 2623819 विस्तार सेवा 239 | |
| 10. | अधीक्षक-ग्रेड- II (बजट) | 2623819 विस्तार सेवा 231 | |
| 11. | अधीक्षक-ग्रेड- II (अधिषाषी अभियन्ता) | 2623745 विस्तार सेवा 226 | |

जिला स्तर पर

| क्र० सं० | वर्तमान पद नाम | पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में) |
|----------|--|---|
| 1. | समस्त ए०डी०सी/ए०डी०एम० एवं पी०डी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०) | अपील प्राधिकारी |
| 2. | समस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०) | जन सूचना अधिकारी |
| 3. | समस्त अधीक्षक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०) | सहायक जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत) |

खण्ड स्तर पर

| क्र० सं० | वर्तमान पद नाम | पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में) |
|----------|--|---|
| 1. | समस्त खण्ड विकास अधिकारी (हि०प्र०) | अपील प्राधिकारी |
| 2. | समस्त अधीक्षक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी (हि०प्र०) | जन सूचना अधिकारी (अपने विकास खण्ड क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत) |
| 3. | समस्त पंचायत सचिव समस्त पंचायत सहायक | सहायक जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत) |

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hprural.nic.in पर उपलब्ध है।

